न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./33/2023

1. धूडा पुत्र स्व0 सकराम
2. जेतू पुत्र स्व0 सकराम
3. गलकू पत्नी स्व0 सकराम(फौत)
4. काना पुत्र हाथी
5. सोदान पुत्र हाथी समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

1. देवकरण पुत्र स्व0 श्रीराम
2. गीता पत्नी स्व0 श्रीराम
3. छोटूलाल पुत्र स्व0 श्रीराम
4. पुखराज पुत्र स्व0 श्रीराम
5. गलकू पत्नी स्व0 मगना
6. श्रवण पुत्र स्व0 मगना
7. बाली पत्नी श्रवण समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील भिनाय केकड़ी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शम्मी मोहम्मद

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा अर्जुनपुरा पटवार क्षेत्र पड़ागा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 32 में दर्ज खसरा नं. 692 रकबा 0.48, कुल किता 01 कुल रकबा 0. 48 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 07 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 तथा 06 द्वारा पत्रावली में दर्ज प्रश्नगत आराजी में पत्थरगढी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण संख्या 02, 03, 04, 05 और 07 को नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 और 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी अंकित की गई। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

अर्जुनपुरा के खाता संख्या 32 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा अर्जुनपुरा पटवार क्षेत्र पड़ागा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 32 में दर्ज खसरा नं. 692 रकबा 0.48, कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)